रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15062020-219943
CG-MH-E-15062020-219943

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197] नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2020/ज्येष्ठ 25, 1942
No. 197] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2020/JYAISTHA 25, 1942

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अंतर्गत गठित)

सूचना

मुम्बई, 5 जून, 2020

फा. सं. सीसी/एसएंडबी/एसए/70A.—भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 65वीं वार्षिक महासभा मंगलवार 14 जुलाई 2020 को सुबह 11 बजे "स्टेट बैंक सभागार, स्टेट बैंक भवन परिसर, मादाम कमा रोड, मुंबई-400 021 में आयोजित की जाएगी। परिस्थितियाँ अनुकूल न होने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा वार्षिक महासभा आयोजित करने की अनुमति न मिलने पर यह बैठक निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु वीडियो कॉन्फरेन्सिन्ग/अन्य ऑडियो- विजुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी :

"भारतीय स्टेट बैंक का 31 मार्च 2020 तक का तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि खाता तथा इस लेखा अवधि की भारतीय स्टेट बैंक के कार्य-प्रणाली और कार्यकलापों पर केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट एवं तुलन-पत्र और लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना और उसे स्वीकार करना"।

वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम सुविधा के जरिए साधारण बैठक में हिस्सा लेने और दूर से ई-मतदान सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए मतदान करने के लिए अनुदेश

1. कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 8 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 14/2020, 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 17/2020 तथा 5 मई 2020 के परिपत्र क्रमांक 20/2020

("एमसीए परिपत्र") और उसके बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिनांक 12 मई 2020 के परिपत्र क्रमांक सेबी/एचओ/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 के अनुसार ईजीएम/एजीएम स्थल पर सदस्यों का प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है और वार्षिक महासभा (एजीएम) वीडियो कान्फरेंसिंग अथवा अन्य आडियो विजुअल माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए। बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुसरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः सदस्य आगामी वार्षिक महासभा में वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम पर उपस्थित होकर हिस्सा ले सकते हैं, जिसके लिए सदस्यों का एक ही जगह पर प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है। बैठक का अनुमत स्थान बैंक के कॉरपोरेट केंद्र का स्टेट बैंक सभागार होगा।

2. बैंक के सदस्यों को वीडियो कान्फरेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के कारण भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 34 में निर्धारित किए गए अनुसार प्रॉक्सी की नियुक्ति करने और सदस्यों की ओर से मतदान करने की सुविधा इस वार्षिक महासभा के लिए उपलब्ध नहीं है। तथापि भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 32 एवं 33 में निर्धारित किए गए अनुसार वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित होने और ई-मतदान के जरिए अपना मत देने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने हेतु निकाय कॉरपोरेट पात्र होंगे।

3. इस सूचना में उल्लिखित कार्यविधि का पालन करते हुए सदस्य वार्षिक महासभा शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से सभा में भाग ले सकते हैं। पहले आए, पहले पाए आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने की सुविधा दी जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% अथवा उससे अधिक की शेयरधारिता वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आए, पहले पाए की शर्त के बिना एजीएम में हिसा लेने की अनुमति है।

4. भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 24 के अंतर्गत कोरम के निर्धारण के प्रयोजन से वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की उपस्थिति मान्य होगी।

5. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) के विनियम 44 (यथा संशोधित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार बैंक वार्षिक महासभा की कार्यवाही में अपने सदस्यों को दूर से ई-मतदान की सुविधा दे रहा है। इसके लिए बैंक ने नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ प्राधिकृत एजेंसी के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा मुहैया कराने के लिए करार किया है। वार्षिक महासभा की तारीख अर्थात 14 जुलाई 2020 को सदस्यों के लिए दूरस्थ ई-मतदान व्यवस्था के इस्तेमाल और सभा स्थल पर मतदान करने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

6. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 17/2020 के अनुरूप वार्षिक महासभा आयोजित करने की सूचना बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर अपलोड की गई है। इस सूचना को स्टॉक एक्सचेंज यथा बीएसई लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश: www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर देखा जा सकता है और वार्षिक महासभा संबंधी सूचना एनएसडीएल (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

7. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वार्षिक महासभा का आयोजन वीसी/अन्य विजुअल माध्यम के जरिए किया जा रहा है। स्थितियाँ अनुकूल होने और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा वार्षिक महासभा के आयोजन के लिए अनुमति दिए जाने पर भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के अनुसार सभा आयोजित की जाएगी।

8. भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 7 के अनुसार संयुक्त धारकों के मामले में वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार सबसे पहले हो, वार्षिक महासभा में मतदान करने का पात्र होगा, बशर्ते कि मत दूर से ई-मतदान के जरिए न डाला जा चुका हो।

9. वे सदस्य जो वीसी के जरिए उपस्थित होना चाहते हैं और जो दूर से ई-मतदान नहीं करना चाहते हैं, उन्हें वार्षिक महासभा में ई-मतदान के जरिए मत देने की अनुमति दी जाएगी।

सदस्यों के लिए दूर से ई-मतदान करने के अनुदेश नीचे दिए गए हैं:-

दूर से ई-मतदान की अवधि 10 जुलाई, 2020 को भारतीय समय के अनुसार प्रातः 10 बजे शुरू होगी और 13 जुलाई, 2020 को शाम 5 बजे समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा दूर से ई-मतदान मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार मतदान किए जाने के बाद मत को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उपर्युक्त अवधि के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 31 में निर्धारित तारीख को कागज़ रूप में अथवा कागजरहित रूप में शेयर रखने वाले बैंक के सदस्य दूर से ई-मतदान द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं।

एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली के इस्तेमाल से मैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकता/सकती हूँ?

एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था का इस्तेमाल करके मतदान करने की प्रक्रिया "दो चरण" की है, जो नीचे दी गई है :

चरण 1 : https://www.evoting.nsdl.com/ पर एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली पर लॉग-इन करें

चरण 2 : एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करें

चरण 1 के विवरण नीचे दिए गए हैं:

एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली पर कैसे लॉग इन करें?

1. एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट देखें। पर्सनल कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर https://www.evoting.nsdl.com/ यूआरएल टाइप कर वेब ब्राउजर खोलें।
2. ई मतदान व्यवस्था का होम पेज आते ही-"लॉगइन-" आइकॉन पर क्लिक करें, जो "शेयरहोल्डर्स" भाग में उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको स्क्रीन पर दर्शाए गए अनुसार अपना यूजर आईडी, पासवर्ड एवं वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा।

आपने एनएसडीएल की ई-सेवाओं अर्थात आईडीईएएस के लिए पंजीकरण किया है, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएएस लॉग-इन से https://eservices.nsdl.com पर लॉग-इन कर सकते हैं। अपने लॉग-इन विवरण से एनएसडीएल की ई-सेवाओं पर लॉग-इन करते ही ई-मतदान पर क्लिक करें और आप चरण-2 के अनुसार अपना इलेक्ट्रॉनिक मतदान कर सकते हैं।

4. आपकी यूजर आईडी के विवरण नीचे दिए गए हैं:

शेयर किस रूप में हैं अर्थात कागज़रहित/डीमैट (एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल) अथवा कागज़ में	**आपका यूजर आईडी :**
क) वे सदस्य, जिनके शेयर एनएसडीएल में डीमैट खाते में हैं	8 कैरेक्टर डीपी आईडी उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक-आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** है

	और ग्राहक आईडी 12****** है, तो आपका यूज़र आईडी होगा IN300***12******
ख) वे सदस्य, जिनके शेयर सीडीएसएल में डीममैट खाते में हैं	16 अंकों का लाभार्थी का आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12************** है, तो आपका यूजर आईडी होगा 12**************
ग) कागज़ रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	सम संख्या उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए, यदि आपका फोलियो नंबर 001*** है और सम संख्या 101456 है तो यूजर आईडी होगा 101456001***

5. आपके पासवर्ड के विवरण नीचे दिए गए हैं :

क) यदि आपने ई-मतदान के लिए पहले से ही पंजीकरण कराया है, तो आप लॉगइन करने के लिए वर्तमान पासवर्ड का इस्तेमाल कर अपना मतदान कर सकते हैं।

ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको प्रारंभ में सूचित पासवर्ड को रिट्रीव करना होगा। प्रारंभिक पासवर्ड को रिट्रीव करते ही आपको प्रारंभिक पासवर्ड दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा।

ग) अपने प्रारंभिक पासवर्ड को कैसे रिट्रीव करें?

(i) यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमेट खाते अथवा बैंक के पास पंजीकृत है, तो प्रारंभिक पासवर्ड की सूचना आपको आपके ई-मेल आईडी पर दी जाएगी। अपने मेल बॉक्स से एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को ढूंढ लें। ई-मेल खोलकर उसकी अटैचमेंट अर्थात पीडीएफ फाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, कागज़ रूप से धारित शेयरों के सीडीएसएल खाते का 8 अंकों का ग्राहक आईडी अथवा फोलियो नंबर ही पीडीएफ फाइल खोलने का पासवर्ड होगा। पीडीएफ फाइल में आपका यूजर आईडी और प्रारंभिक पासवर्ड होगा।

(ii) यदि आपका ई-मेल पंजीकृत नहीं है, तो नीचे ई-मेल पंजीकृत न करने वाले शेयरधारकों के लिए दिए गए चरणों का अनुसरण करें।

6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं अथवा वह आपको नहीं मिला है अथवा आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो :

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" पर क्लिक करें। (यदि एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के डीमैट में आपके शेयर हैं)

ख) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Physical User Reset Password?" पर क्लिक करें। (यदि आपके शेयर कागज़ रूप में हैं)

ग) उपर्युक्त दोनों विकल्पों के द्वारा पासवर्ड पाने में असमर्थ होने पर आप evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध अपने डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, पैन नंबर, नाम एवं पंजीकृत पते का विवरण देते हुए भेज सकते हैं।

घ) एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था से मतदान करने के लिए सदस्य ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगइन का उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद "'टर्म्स एंड कंडीशंस" का चयन करें और उनसे सहमत होने पर चैक बॉक्स में टिक का निशान लगाएँ।

8. अब आपको "लॉगइन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगइन" बटन पर क्लिक करने के बाद ई-मतदान का होम पेज खुलेगा

चरण 2 की जानकारी नीचे दी गई है :

एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था पर कैसे अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर दें?

1. चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद आप ई-मतदान का होम पेज देख पाएंगे। ई-मतदान पर क्लिक करें। उसके बाद एक्टिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करें।
2. एक्टिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करने के बाद आप उन सभी "ईवीईएन" कंपनियों को देख पाएंगे, जिनके शेयर आपके पास हैं और जिनकी वोटिंग साइकल एक्टिव स्टेटस में है।
3. बैंक के "ईवीईएन" का चयन करें, जिसे आप अपना मत देना चाहते हैं।
4. वोटिंग पेज खुल जाने पर आप ई-मतदान के लिए तैयार हैं।
5. उपयुक्त विकल्प अर्थात एसेंट अथवा डिसेन्ट, का चयन कर, उन शेयरों की संख्या की जांच/संशोधन करें जिनके लिए आप अपना मत देना चाहते हैं, अपना मत दें, और "सबमिट" पर क्लिक करें। कहे जाने पर "कनफर्म" पर भी क्लिक करें।
6. पुष्टि के बाद "सफलतापूर्वक मतदान किया गया" संदेश दिखाई देगा।
7. कनफर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प को क्लिक कर आप अपने मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
8. रिसोल्यूशन पर अपने मतदान की पुष्टि के बाद आपको अपने मतदान में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशा निर्देश-

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्ति, हिंदू अविभाज्य परिवार, अनिवासी भारतीय आदि से भिन्न) से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदान करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के नमूना हस्ताक्षर से विधिवत सत्यापित संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्केन की हुई प्रति संवीक्षक (Scrutinizer) को info@mehta-mehta.com पर मेल से भेज दें। इसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को भी भेज दें।
2. आपको हिदायत दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पाँच असफल प्रयासों के बाद ई-मतदान के लॉगइन को डिसेबल कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको www.evoting.nsdl.com पर पासवर्ड रीसेट करने के लिए उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password?" अथवा "Physical User Reset Password?" का चयन करना होगा।
3. संदेह होने पर आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड भाग में उपलब्ध शेयरधारकों द्वारा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न तथा शेयरधारकों के ई-मतदान यूजर मैनुअल को देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर फोन कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in अथवा amitv@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर श्री अमित विशाल, सीनियर मैनेजर अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, मैनेजर, एनएसडीएल को अपना अनुरोध भेज सकते हैं अथवा टेलीफोन नंबर +91-22-24994360 अथवा +91-9920264780 अथवा +91-22-24994545 पर फोन कर सकते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए मतदान से संबंधित शिकायतों का समाधान भी करेंगे।

यूज़र आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने और इस सूचना में दिए गए संकल्प के ई-मतदान हेतु ई-मेल के पंजीकरण के लिए डिपॉजिटरियों के साथ अपना ई-मेल पंजीकृत न कराने वाले शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया:

1. शेयर कागज़ रूप में होने पर कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति) ईमेल से investor.complaints@sbi.co.in को भेज दें।

2. शेयर कागजरहित रूप में होने पर कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी अथवा 16 अंक वाला लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति) ईमेल से investor.complaints@sbi.co.in को भेज दें।

3. वैकल्पिक रूप से सदस्य बिंदु (1) अथवा (2), जैसी भी स्थिति हो, में उल्लिखित विवरण उपलब्ध कराकर यूज़र आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं।

वार्षिक महासभा के दिन ई-म्नानुसार हैंमतदान करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश नि-

1. वार्षिक महासभा के दिन ई-मतदान करने की कार्यविधि ऊपर दूर से ई-मतदान करने के लिए उल्लिखित अनुदेशों के समान ही है।
2. वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम सुविधा के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित होने वाले सदस्य/शेयरधारक एवं जिन्होंने दूर से ई-मतदान के जरिए संकल्प पर अपना मतदान नहीं किया है तथा जिन्हें ऐसा करने से अन्यथा विवर्जित न किया गया हो, महासभा में ई-मतदान के जरिए मतदान करने के पात्र होंगे। सदस्य भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 31 के अनुसार मतदान करने के पात्र होंगे।
3. दूर से ई-मतदान करने वाले सदस्य वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने के पात्र होंगे। परंतु वे वार्षिक महासभा के दिन मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
4. वार्षिक महासभा के दिन ई-मतदान करने की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का पता आदि वही होगा, जो दूर से ई-मतदान के लिए दिया गया है।
5. बैंक को प्रत्यक्ष रूप से वार्षिक महासभा आयोजित करने की अनुमति मिल जाने पर उन सदस्यों को टैबलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा दी जाएगी, जिन्होंने इससे पहले दूर से ई-मतदान नहीं किया है।

वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश नीचे दिए गए हैं:

1. एनएसडीएल ई-मतदान व्यवस्था के जरिए वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने की सुविधा सदस्य को दी जाएगी। दूर से मतदान के विवरण दर्ज कर शेयरधारक/सदस्यों के लॉगइन के तहत https://www.evoting.nsdl.com पर भी सदस्य यह सुविधा पा सकते हैं। शेयरधारक/सदस्यों के लॉगइन के तहत वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम का लिंक उपलब्ध है, जहां बैंक के ईवीईएन की जानकारी दी गई है। कृपया नोट कर लें कि वे सदस्य जिनके पास ई-मतदान का आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, सूचना में दूर से ई-मतदान करने के अनुदेशों का पालन कर अपने आईडी और पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं, जिससे ऐन समय पर भागदौड़ न करनी पड़े। इसके अलावा सदस्य एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था पर लॉगइन के लिए ओटीपी आधारित लॉगइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्यों को लैपटॉप के जरिए सभा से जुड़ने की सलाह दी जाती है।
3. सभा के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए सदस्यों को अच्छी स्पीड वाले इन्टरनेट का इस्तेमाल करना होगा।
4. कृपया नोट कर लें कि मोबाइल डिवाइस अथवा टैबलेट अथवा लैपटॉप से मोबाइल हॉटस्पाट से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क के बार बार बंद होते रहने पर आडियो/वीडियो सुविधा भी रुक

सकती है। इसलिए उपर्युक्त किसी प्रकार की अड़चन की संभावना को कम करने के लिए स्टेबल वाई-फाई अथवा लाइन कनेक्शन इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता है।

5. वार्षिक महासभा के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने के लिए इच्छुक शेयरधारक वक्ता के रूप में पंजीकारण करवा सकते हैं। वे 14 जुलाई 2020 को प्रातः 11.00 बजे वार्षिक महासभा शुरू होने से पहले अपना नाम, डीमैट खाता नंबर/फोलयो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपना अनुरोध investor.complaints@sbi.co.in को भेज सकते हैं।

6. वक्ता के रूप में पंजीकृत कराने वाले शेयरधारकों को ही अपने विचार बताने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी। इनका उपयुक्त उत्तर बैंक द्वारा दिया जाएगा।

मतदान अधिकारों का निर्धारण :- भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 11 में दिए गए प्रावधानों के अध्यधीन वार्षिक महासभा की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए इस सभा में एक वोट देने का अधिकार होगा। प्रत्येक शेयरधारक (केंद्र सरकार से भिन्न) जो उपर्युक्त अनुसार मतदान करने के पात्र हैं, को ऐसी सभा की तारीख से पहले तीन महीने की अवधि अर्थात 13.04.2020 तक धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए एक वोट देने का अधिकार होगा।

संवीक्षक (Scrutinizer) वार्षिक महासभा में मतदान के तुरंत बाद, सर्वप्रथम वार्षिक महासभा के दौरान डाले गए मतों की गिनती करेगा, उसके बाद ई-मतदान से डाले गए मतों को अनब्लॉक करेगा। वार्षिक महासभा की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर पक्ष अथवा विपक्ष में डाले गए कुल वोटों पर संवीक्षक (Scrutinizer) की समेकित रिपोर्ट अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी, जो इस पर प्रति हस्ताक्षर (काउंटर साइन) करेगा।

संवीक्षक (Scrutinizer) रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरंत बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in एवं एनएसडीएल की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके साथ ही बैंक परिणाम को नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बीएसई लिमिटेड, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, को भेज दिया जाएगा।

रजनीश कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन–III / 4 / असा. / 53 / 2020–21]

STATE BANK OF INDIA

(Constituted under the State Bank of India Act,1955)

NOTICE

Mumbai, the 5th June, 2020

F. No. CC/S&B/SA/70A.—The 65th Annual General Meeting of Shareholders of the State Bank of India will be held at the **"State Bank Auditorium, State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai – 400021 on Tuesday, the 14th July, 2020 at 11.00 a.m,** if the conditions are not conducive and the local authorities do not permit to hold physical Annual General Meeting, the Meeting will be held through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) facility to transact the following business:

"To, discuss and adopt the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the State Bank of India made up to the 31st day of March 2020, the report of the Central Board on the working and activities of the State Bank of India for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts."

General instructions for accessing and participating in the Annual General Meeting through VC/OAVM Facility and voting through electronic means including remote e-Voting

1. In view of the massive outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed and pursuant to the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), physical attendance of the Members to the EGM/AGM venue is not required and Annual General Meeting (AGM) be held through Video Conferencing (VC) or Other Audio

Visual Means (OAVM). The Board of Directors of the Bank has decided to adopt the above guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI in conducting Annual General Meeting of the Bank. Hence, Members can attend and participate in the ensuing Annual General Meeting through VC/OAVM, which may not require physical presence of members at a common venue. The deemed venue for the meeting shall be State Bank Auditorium, Corporate Centre of the Bank.

2. In view of the VC facility being provided to the members of the Bank, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members as provided in Regulation 34 of SBI General Regulations, 1955 is not available for this Annual General Meeting. However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives as provided in Regulation 32 and 33 of SBI General Regulations, 1955 to attend the Annual General Meeting through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.

3. The Members can join the Annual General Meeting in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the Annual General Meeting through VC/OAVM will be made available for at least 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the Annual General Meeting without restriction on account of first come first served basis.

4. The attendance of the Members attending the Annual General Meeting through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 24 of SBI General Regulations, 1955.

5. Pursuant to the provisions Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) read with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, (as amended), and the MCA Circulars the Bank is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the Annual General Meeting. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as venue voting on 14th July, 2020 the date of the Annual General meeting will be provided by NSDL.

6. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the Annual General Meeting has been uploaded on the website of the Bank at www.sbi.co.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the Annual General Meeting Notice is also available on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.

7. Annual General Meeting has been convened through VC/OAVM in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020 and if conditions are conducive and the local authorities permit for conducting the Annual General Meeting, Meeting may be convened in terms of SBI Act and SBI General Regulations, 1955.

8. In terms of Regulation 7 of SBI General Regulations, 1955 in case of joint holders, the Member whose name appears first as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote at the Annual General Meeting provided the votes are not already cast through remote e-voting.

9. Members who opt to be present through VC and who do not cast their vote through remote e-voting will be allowed to vote through e-voting at the Annual General Meeting.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

The remote e-voting period commence on 10th July, 2020 at 10:00 A.M. IST and end on 13th July, 2020 at 5:00 P.M. IST. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

During the above period, Members of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut off date as provided in Regulation 31 of SBI General Regulations, 1955 may cast their vote by remote e-voting.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Log-in to NSDL e-Voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

Step 2: Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

Details on Step 1 is mentioned below:

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.
4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	**Your User ID is:**
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example, if your Beneficiary ID is 12************** then your user ID is 12**************
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank. For example, if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Your password details are given below:
   a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
   b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
   c) How to retrieve your 'initial password'?
      (i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8-digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
      (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process **for those shareholders whose email ids are not registered.**
6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
   a) Click on "**Forgot User Details/Password**?"(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
   b) **Physical User Reset Password**?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
   c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.

d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on "Login" button.
9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Details on Step 2 is given below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.
2. After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.
3. Select "EVEN" of Bank for which you wish to cast your vote.
4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
6. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1 Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to info@mehta-mehta.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Mr. Amit Vishal, Senior Manager or Ms. Pallavi Mhatre, Manager NSDL at evoting@nsdl.co.in ; or amitv@nsdl.co.in; or pallavid@nsdl.co.in or at telephone Nos. +91-22- 24994360 or +91-9920264780 or +91-22-24994545 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolution set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investor.complaints@sbi.co.in

2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to investor.complaints@sbi.co.in.

3. Alternatively member may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by proving the details mentioned in Point (1) or (2) as the case may be.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE ANNUAL GENERAL MEETING ARE AS UNDER: -

1. The procedure for e-Voting on the day of the Annual General Meeting is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.

2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the Annual General Meeting. The Members are entitled to vote in terms of Regulation 31 of the SBI General Regulations, 1955.

3. Members who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the Annual General Meeting. However, they will not be eligible to vote at the Annual General Meeting.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the Annual General Meeting shall be the same person mentioned for remote e-voting.
5. In case, if Bank gets permission to conduct physical Annual General Meeting, voting through tablets will also be made available to members who have not earlier voted through remote e-Voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Member will be provided with a facility to attend the Annual General Meeting through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access the same at https://www.evoting.nsdl.com under shareholders/ members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVEN of the Bank will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush. Further members can also use the OTP based login for logging into the e-Voting system of NSDL.
2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
5. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker may send their request mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor.complaints@sbi.co.in in advance before the start of annual general meeting on 14th July, 2020 at 11.00 a.m.
6. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions. The same will be replied by the Bank suitably.

Determination of voting rights.- Subject to the provisions contained in section 11 of the SBI Act, each shareholder who has been registered as a shareholder for a period of not less than three months prior to the date of annual general meeting shall, at such meeting, have one vote for each fifty shares held by him or it. Every shareholder [other than the Central Government] entitled to vote as aforesaid who, shall have one vote for each fifty shares held by him or it for the whole period of three months prior to the date of such meeting i.e. 13.04.2020.

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the Annual General Meeting, first count the votes cast during the Annual General Meeting, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the Annual General Meeting, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same.

The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.sbi.co.in and on the website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com immediately. The Bank shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Bank are listed.

RAJNISH KUMAR, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./53/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.15 20:37:07 +05'30'